

प्रेस नोट

दिनांक: 09.10.2026

थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के 05 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

घटना को संक्षिप्त विवरण-

वादी राजकुमार वर्मा उर्फ सोनू पुत्र चंद्रभान वर्मा निवासी ग्राम पिपरा-भिटौरा अंधरीजोत, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा द्वारा थाना मोतीगंज पर तहरीर दी गई कि दिनांक 08.10.2026 को उसकी भाभी पिकी वर्मा का घरवालों से विवाद हो गया था। विवाद की जानकारी होने पर उसके मायके पक्ष के राजेन्द्र वर्मा, रोहित वर्मा पुत्रगण रामसुधार वर्मा तथा विकास वर्मा पुत्र काशीराम वर्मा, प्रिंस तिवारी पुत्र रामकिशोर तिवारी, अमित वर्मा पुत्र राधेश्याम वर्मा एवं खुशीलाल गोस्वामी पुत्र महेश गिरी निवासीगण ग्राम छजवा सहायपुरवा, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा आदि द्वारा तीन मोटरसाइकिल से वादी के घर पहुंचकर एक राय होकर घर में घुसकर गाली-गलौज करते हुए लाठी-डण्डों से मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना मोतीगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पूजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 222/26, धारा 191(2), 333/109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस से संबंधित 05 नामजद अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर ग्राम छजवा के उत्तर स्थित आम के बाग से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1. रोहित वर्मा पुत्र रामसुधार वर्मा निवासी ग्राम छजवा सहायपुरवा, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा।
2. विकास वर्मा पुत्र काशीराम वर्मा निवासी ग्राम छजवा सहायपुरवा, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा।
3. अमित वर्मा पुत्र राधेश्याम वर्मा निवासी ग्राम छजवा सहायपुरवा, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा।
4. प्रिंस तिवारी पुत्र रामकिशोर तिवारी निवासी ग्राम छजवा बाजार, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा।
5. खुशीलाल गोस्वामी पुत्र महेश गिरी निवासी ग्राम छजवा गोसाईपुरवा, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01- मु0अ0सं0 222/26, धारा 191(2), 333/109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

- 01- व0उ0नि0 रामभवन पासवान
- 02- उ0नि0 नारदमुनि कन्नौजिया
- 03- हे0का0 दयानन्द यादव
- 04- का0 सौरभ कुमार
- 05- का0 सुधाकर यादव
- 06- का0 रामशरण
- 07- का0 आदर्श कुमार मिश्रा

मीडिया सेल, गोण्डा।

थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा धोखाधड़ी एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित मुकदमे के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण—

खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा उचित दर विक्रेता रघुराज पुत्र रामफेर, निवासी ग्राम पंचायत बेलवा कर्मडीह, विकास खण्ड रूपईडीह, जनपद गोण्डा के संबंध में जांच आख्या प्रेषित की गई थी। जांच आख्या में की गई संस्तुति के आधार पर रघुराज एवं प्रमोद शुक्ला पुत्र घनश्याम शुक्ला निवासी ग्राम बेलवा कर्मडीह, थाना इटियाथोक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु जिलाधिकारी गोण्डा द्वारा दिनांक 23.04.2025 को अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके अनुपालन में थाना इटियाथोक पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही—

थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा खाद्य तथा रसद विभाग की जांच आख्या एवं जिलाधिकारी गोण्डा के अनुमोदन के क्रम में मु0अ0सं0 89/2025 धारा 419/420/467/468/471/120बी/409 भा0द0वि0 एवं धारा 3/4 आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित अभियोग में कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त रघुराज पुत्र रामफेर निवासी ग्राम बेलवा कर्मडीह, थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा को उसके घर पर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय खाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

1. रघुराज पुत्र रामफेर, निवासी ग्राम बेलवा कर्मडीह, थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01- मु0अ0सं0 89/2025, धारा 419/420/467/468/471/120बी/409 भा0द0वि0 एवं धारा 3/4 आवश्यक वस्तु अधिनियम, थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 राजेश कुमार यादव
2. का0 धीरज कुमार वर्मा

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक- 09.10.2026

साइबर जागरूकता अभियान के क्रम में जनपद की साइबर सेल टीम व समस्त थानों में चलाया गया व्यापक जागरूकता अभियान, फेसबुक प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने वाले साइबर फ्रॉड से बचाव के प्रति आमजनमानस को किया गया जागरूक।

आज का साइबर जागरूकता विषय-

“Facebook प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने वाले साइबर फ्रॉड से सावधान”

प्रमुख Facebook Fraud:

1. **फर्जी प्रोफाइल फ्रॉड** - आपके परिचित , रिश्तेदार , अधिकारी या मित्र के नाम से फर्जी ID बनाकर पैसे मांगना,
2. **फर्जी विज्ञापन एवं ऑनलाइन शॉपिंग** - सस्ते सामान, मोबाइल, वाहन, ट्रैवल पैकेज, आदि के नाम पर भुगतान लेकर सामान न भेजना,
3. **फर्जी निवेश एवं ट्रेडिंग** - कम समय में अधिक मुनाफे का लालच देकर निवेश कराकर ठगी करना,
4. **फिशिंग लिंक/ मैलिशियस लिंक** - Messenger पर संदिग्ध लिंक भेजकर बैंकिंग जानकारी, OTP या पासवर्ड चुराना,
5. **लोन एवं जॉब फ्रॉड** - कम ब्याज पर लोन , सरकारी नौकरी या वर्क फ्रॉम होम के नाम पर रजिस्ट्रेशन/ प्रोसेसिंग फीस मांगना,
6. **अकाउंट हैकिंग** - आपके Facebook अकाउंट का अनधिकृत नियंत्रण लेकर आपके मित्रों से पैसे मांगना ।

सुरक्षा के उपाय:

1. किसी भी Facebook प्रोफाइल की वास्तविकता की पुष्टि किये बिना पैसे न भेजें।
2. अपने Facebook अकाउंट पर Two-Factor Authentication(2FA) अवश्य चालू रखें।
3. किसी भी अनजान APK या लिंक को डाउनलोड/क्लिक न करें।
4. व्यक्तिगत जानकारी जैसे आधार, पैन, OTP, PIN, Password और बैंक विवरण किसी से साझा न करें।
5. संदिग्ध अकाउंट/ग्रुप को Block और Report करें।
6. साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।

संदेश:

“सोशल मीडिया पर दोस्ती हो या कारोबार, बिना सत्यापन न करें विश्वास और न करें भुगतान।”

मीडिया सेल गोण्डा।